



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-273

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 273163 दिनांक 21/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Anil Kumar Madnani S/o Parasram Madnani एवं Sunil Madnani PARAS RAM MADNANI एवं Rajesh Madnani	श्री परसराम मदनानी पुत्र स्व. श्री वलीराम मदनानी	178	90.00 SQ. METER	JDA	RAM NAGARIYA VISTAR Sector/Block-C	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	श्री अनिल मदनानी, श्री सुनील मदनानी एवं श्री राजेश मदनानी पुत्रान स्व. श्री परसराम मदनानी द्वारा रामनगरिया विस्तार के भूखण्ड संख्या सी-178 क्षेत्रफल 90 व.मी. का नाम हस्तान्तरण/लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु आवेदन किया गया है। रामनगरिया विस्तार के भूखण्ड संख्या सी-178 क्षेत्रफल 90 व.मी. की लीज डीड दिनांक 08.04.2005 को श्री परसराम मदनानी पुत्र स्व. श्री वलीराम मदनानी के पक्ष में जारी की गई है। अपलोड दस्तावेज अनुसार



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

श्री परसराम
मदनानी पुत्र स्व.
श्री वलीराम
मदनानी की मृत्यु
दिनांक
22.05.2022,
श्रीमती निर्मला
मदनानी पत्नी श्री
परराम मदनानी
की मृत्यु दिनांक
04.11.2003 एवं
अपलोड सजरा
शपथ पत्र अनुसार
श्री अनिल
मदनानी, श्री
सुनील मदनानी
एवं श्री राजेश
मदनानी पुत्रान
स्व. श्री परसराम
मदनानी बताये
गये हैं

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Anil Kumar Madnani S/o Parasram Madnani एवं Sunil Madnani PARAS RAM MADNANI एवं Rajesh Madnani को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।

2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतिपाठ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |